अंत्योदया–सरल

सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता
विधवा तथा निराश्रित महिला पेंशन (योजना)

पात्रताः

1. महिला की आयु 18 वर्ष और उससे अधिक हो।
2. महिला हरियाणा राज्य की अधिवासी है और आवेदन के समय एक वर्ष से हरियाणा राज्य की निवासी हो।
3. निम्नलिखित तीन शर्तो में से कोई एक शर्त पूरी करती हैः–
   (i) वह विधवा है या
   (ii) वह पति, माता/पिता और सुपुत्र (सुपुत्रों) के बिना निराश्रित है या
   (iii) वह भौतिक/मानसिक अक्षमता से निराश्रित हैः–
   (क) विवाहित महिला के मामले में पति, या
   (ख) अन्य महिलाओं के मामले मे माता/पिता।

4. आवेदक की वार्षिक आय 2 लाख रू0 से कम है।

अपवाद

उपरोक्त के अलावा, यदि कोई व्यक्ति किसी सरकार अथवा स्थानीय/स्वायत निकाय से वितीय सहायता प्राप्त संगठन से पैंशन प्राप्त कर रहा/रही है, तो वह इस योजना के अन्तर्गत भत्ता प्राप्ति का पात्र नही होगा/होगी। सामाजिक सुरक्षा लाभ देने हेतू सरकारी अधिसूचना में ''पैंशन'' से अभिप्राय आय की प्राप्ति अथवा अन्य स्त्रोत से आय व जिसमें योजनाएं शामिल हैः

* प्रोविडेंट फण्ड, अथवा

* किसी भी स्त्रोत से आय में व्यवसायिक बैंक, वितीय संस्थान अथवा बीमा आदि शामिल है।

उपलब्ध लाभः

1. रू0 2500/– प्रतिमास 01.04.2021 से लागू।

अंत्योदया–सरल

डिजिटल हरियाणा

आवश्यक दस्तावेजः

1. आयु के सम्बन्ध में (निम्नलिखित में से कोई एक):
   - जन्म प्रमाण–पत्र (रजिस्ट्रार, जन्म एंव मृत्यु द्वारा जारी)।
   - विद्यालय प्रमाण–पत्र (स्कूल शिक्षा बोर्ड/अन्य सरकारी/प्राईवेट संस्थान द्वारा जारी)
   - वोटर कार्ड (निर्वाचन विभाग हरियाणा द्वारा जारी)
   - मतदाता सूची जिसमें आवेदक का नाम फोटो सहित दर्शाया गया हो (निर्वाचन विभाग हरियाणा द्वारा जारी)
   - यदि उपरोक्त में से कोई भी दस्तावेज आवेदक के पास उपलब्ध नही है, तो आवेदक को जिला समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय में मैडिकल निरक्षण हेतू लिखना चाहिए ताकि वह जिले के सिविल सर्जन कार्यालय में गठित दो डाक्टरों की टीम को आवेदक की आयु का आंकलन करने के लिए मामला भेज सके।
2. पिछले सात वर्ष से गुमशुदा व्यक्ति की गुमशुदगी की एफ.आई.आर. की प्रति।
3. पति का मृत्यु प्रमाण–पत्र (विधवा के मामले में)।
4. निराश्रित प्रमाण–पत्र(निराश्रित महिला के मामले में)।

5. निवास के सम्बन्ध में: (निम्नलिखित में से स्वंय सत्यापित एक दस्तावेज जो 5 वर्ष पूर्व में जारी किया गया हो):–
   - राशन कार्ड।
   - मतदाता पहचान–पत्र।
   - मतदाता सूची में आवेदक का नाम फोटो सहित।
   - उपरोक्त में से अगर आवेदक के पास कोई भी दस्तावेज उपलब्ध नही है, वह शपथ पत्र देंगे जिसकी वैरिफिकेशन जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा अन्य दस्तावेजों के आधार पर की जायेगी।
6. अन्य दस्तावेज
   - आधार कार्ड (ऐच्छिक)
   - आवेदक का बचत बैंक खाता विवरण पास बुक की फोटी कॉपी सहित।
   - आवेदक का परिवार पहचान पत्र।

अंत्योदया–सरल

सेवा के लिए फीसें:

सरकारी प्रभार	केन्द्र सेवा प्रभार	अटल सेवा केन्द्र सेवा प्रभार
कोई फीस नहीं	रू0 30/–	रू0 30/–

सेवा का अधिकार समय सीमा: 60 दिन।